

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: संशोधित कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश दिनांक: 16.10.2021 के परिशिष्ट 9 में कुश्ती छात्र वर्ग में स्कूल गोम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया से प्राप्त निर्देशानुसार सत्र 2021-22 के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं में वजन कैटेगरी में नवीनतम नियम जारी होने के कारण विभाग द्वारा आयोजित जिला एवं राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता हेतु आयुवर्गानुसार वजन कैटेगरी में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

पूर्व में वजन 19 वर्ष छात्र	संशोधित वजन 19 वर्ष छात्र	पूर्व में वजन 17 वर्ष छात्र	संशोधित वजन 17 वर्ष छात्र
42 किग्रा तक	57 किग्रा तक	42 किग्रा तक	45 किग्रा तक
46 किग्रा तक	61 किग्रा तक	46 किग्रा तक	48 किग्रा तक
50 किग्रा तक	65 किग्रा तक	50 किग्रा तक	51 किग्रा तक
55 किग्रा तक	70 किग्रा तक	54 किग्रा तक	55 किग्रा तक
60 किग्रा तक	74 किग्रा तक	58 किग्रा तक	60 किग्रा तक
66 किग्रा तक	79 किग्रा तक	63 किग्रा तक	65 किग्रा तक
74 किग्रा तक	86 किग्रा तक	69 किग्रा तक	71 किग्रा तक
84 किग्रा तक	92 किग्रा तक	76 किग्रा तक	80 किग्रा तक
96 किग्रा तक	97 किग्रा तक	85 किग्रा तक	92 किग्रा तक
120 किग्रा तक	125 किग्रा तक	100 किग्रा तक	110 किग्रा तक

शेष नियम पूर्व के आदेशानुसार यथावत रहेंगे।

उपनिदेशक (खेलकूद)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 18.10.2021

क्रमांक: शिविरा/मा/खेलकूद-3/35101/वा.प./2021-22

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा ।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-मुख्यालय)
3. समस्त संस्था प्रधान
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत
5. निजी/रक्षित पत्रावली

उपनिदेशक (खेलकूद)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर